जल संसाधन मंत्रालय
नई दिल्ली

दिनांक 30 नवम्बर 2006

संकल्प

सं. 2/18/2005–बी.एम.:जल संसाधन विकास के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रायद्वीपीय घटक के प्रस्ताव के विस्तृत सर्वेक्षण व अन्वेषण एवं अध्ययन करने के लिये राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, जो सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय) की पंजीकृत सोसाइटी है, की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के कार्य दिनांक 26.8.1981 की अधिसूचना संख्या–1(7)/80–पी.पी. के पैरा 4 के अंतर्गत प्रकाशित किये गये थे। सरकार ने बाद में जल संसाधन विकास के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य वाले हिमालयी घटक को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के कार्यों में दिनांक 11 मार्च, 1994 के संकल्प सं. 22/27/92–बी.एम. के माध्यम से एवम् दिनांक 26.8.1981 की अधिसूचना संख्या 1(7)/80–पी.पी. के पैरा 3 एवं 5 में निहित सोसाइटी एवं शासी निकाय की संरचना में दिनांक 13 फरवरी, 2003 एवं 12 मार्च, 2004 के संकल्प संख्या 2/9/2002–बी.एम. के माध्यम से संशोधन किया।

अब यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण बिहार जैसे राज्यों में नदियों की उप–बेसिनों को जोड़ने वाली नहरों की तकनीकी सम्भाव्यता का पता लगायेगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण केन–बेतवा जोड़ नहर, जो कि प्रायद्वीपीय विकास घटक की प्राथमिकता जोड़ नहरों में से एक है, की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण उक्त कार्यों को कर सके, इस हेतु इसके कार्यों में निम्नवत आशोधन किये जाते है:

क) तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय) और केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जल संसाधन विकास के लिए तैयार किये गये

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रायद्वीपीय नदी विकास एवं हिमालय नदी विकास घटकों की संभाव्यता स्थापित करने के लिए संभावित जलाशय स्थलों और जोड़ नहरों को आपस में जोड़ने के प्रस्तावों के विस्तृत सर्वेक्षण व अन्वेषण करना।

ख) निकट भविष्य में बेसिन राज्यों की समुचित आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद विभिन्न प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली एवं हिमालय नदी प्रणाली में जल की मात्रा, जिसे अन्य बेसिनों/राज्यों में अंतरण किया जा सकता है, के बारे में विस्तृत अध्ययन करना।

ग) प्रायद्वीपीय नदी विकास एवं हिमालय नदी विकास घटकों से संबंधित योजनाओं के विभिन्न तकनीकी संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करना।

घ) जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अन्तर्गत नदी जोड़ नहर प्रस्तावों पर संबंधित राज्यों की सहमति के पश्चात् उनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।

ड) राज्यों द्वारा यथा प्रस्तावित अंतर्राज्यीय जोड़ नहरों की पूर्वतकनीकी सम्भाव्यता एवं तकनीकी सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करना।

च) अन्य वे सभी कार्य करना जो सोसाइटी उक्त उद्देश्यों के पूरा करने के लिये आवश्यक, प्रासंगिक, पूरक या प्रेरक समझे।

आदेश

1. यह आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सभी संबंधित राज्य सरकारों तथा संध राज्य क्षेत्रों, राष्ट्रपति के निजी एवं सैनिक सचिवों, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार के लेखा एवं महा नियंत्रक, योजना तथा केन्द्र सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों को सूचनार्थ प्रेषित किया जाए।
2. यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए तथा आम सूचना के लिए राज्य के राजपत्र में प्रकाशित करने के वास्ते संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए।

इन्द्रराज
आयुक्त